

फर्क आचकाग

उपखण्ड अधिकारी चाकरू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

२२२/२० २२

हरशाम बनाम गेजाराहाम

क्रमांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>पन्नावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तागील करवाने हेतु न्यायालय फीस/डाक महसूल समय पर नहीं दिया। अतः आदेश 9 नियम 2 के तहत वादा खारिज किया जाता है।</p> <p>पन्नावली फौशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">31 उपखण्ड अधिकारी चाकरू(जयपुर)</p>	